

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.8(3) शिक्षा-5/कोविड-19 फीस स्थगन/2020

दिनांक: 07.07.2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषय:- कोविड-19 में जारी किये गये गैर सरकारी विद्यालयों के शुल्क स्थगन (फीस-स्थगन) एवं लॉकडाउन की अवधि में गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने बाबत।

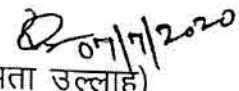
संदर्भ:- आपका पत्रांक शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60566/2019-20
दिनांक 03.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा जब तक विद्यालय न खुले तब तक की अवधि के लिए निदेशालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.04.2020 को यथावत जारी रखा जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

www.rajteachers.com

भवदीय,

(अता उल्लाह)
शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

शासन के पत्र क्रमांक: प.8(3) शिक्षा-5/कोविड-19 फीस स्थगन/2020 दिनांक: 01.07.2020 के क्रम में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शुल्क संग्रहण के संबंध में निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं:-

1. गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों/अभिभावकों से 15 मार्च के बाद बकाया कोई भी शुल्क, वर्तमान में लागू फीस तथा अग्रिम फीस के भुगतान को आगामी 3 माह तक स्थगित किया गया था, इस अवधि को बढ़ाकर राज्य सरकार के आदेशानुसार जब तक विद्यालय न खुले तब तक की अवधि के लिए स्थगित (Defer) किया जाता है। इस अवधि में शुल्क जमा न कराने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी का नाम न काटा जाए।
2. शेष सभी आदेश क्रमांक (शिविरा/मा./पीएसपी/शिकायत/वेतन/2019-20) दिनांक 09.04.2020 के अनुसार पूर्ववत् रहेंगे।

www.rajteachers.com


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60566/2019-20

दिनांक:-07.07.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. संस्था सचिव, गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (समस्त) राजस्थान को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर